

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 21 जुलाई, 2014

सेवा में,

सुजीत कुमार सिंह,
C/o आशीष कुमार दूबे,
ग्राम - भगवतीपुर, पोस्ट आफिस - अरखपुर,
जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश,
पिन - 233305

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी ।

महोदय,

कृपया आप प्रधान मंत्री कार्यालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अंतरित अपने उपरोक्त विषयक पत्र दिनांक 27.06.2014, जो कि इस अनुभाग में दिनांक 15.07.2014 को प्राप्त हुआ, का संदर्भ ग्रहण करें। आप द्वारा अपने उपरोक्त वर्णित पत्र के संबंध में आपको निम्नवत उपलब्ध करायी जाती है-

| बिन्दु संख्या | सूचना |
|---------------|---|
| 1 | नहीं |
| 2 एवं 3 | इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायलय के "Transferred Case (Civil) No.9 of 1994 with Transferred Case (Civil) No.1 of 1995" में दिया गया आदेश दिनांक 15/12/1995 माननीय उच्चतम न्यायलय की वेबसाइट - "judis.nic.in" पर उपलब्ध है। |

2. इस मामले में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अन्तर्गत अपील, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी श्री सतपाल चौहान, संयुक्त सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय, कमरा नं 194, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को 30 दिनों के समय में की जा सकती है।

Copy To : So (IT)श्यामला मोहन
(श्यामला मोहन)

निदेशक एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

सेवा में

3703/14

30 JUN 2014
3703/14-1 July 14

श्री सैयद इशराम रिजवी जी

उन्नीस लोड सूचना अधिकारी / उपस्थिति

प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार

साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011

विषय -> सूचना के अधिष्ठाता अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु।

मान्यवर मैं सुजीत कुमार सिंह एवं आशीष कुमार इके ग्राम- भगवतीपुर, पोस्ट आडिस- अरथपुर जिला- गाजीपुर (उत्तरप्रदेश) पिन-233305 में

रहता हूँ। मुझे सूचना के अधिष्ठाता अधिनियम-2005 के अंतर्गत निम्नलिखित सूचना प्रदान की जाय। पूर्ण आपका आभारी रहेगा -

1) क्या कोई व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधि/पुरस्कार जैसे - भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री इत्यादि को अपने नाम के खान प्रत्यय या उपरिण की भांति उपयोग में ला सकता है? हाँ या नहीं।

2) क्या प्रश्न संख्या 01 के संदर्भ में संसद द्वारा नियम या दिशानिर्देश बनाया गया है, यदि हाँ तो उस नियम/दिवान-निर्देश की दाय्यप्रति प्रश्न करें। यदि उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा कोई दिशानिर्देश जारी किया गया है, दाय्यप्रति प्रश्न करने की कृपा करें। [कृपय]

File No. 18627
Date 25/06/14
Asst Date 05/07/14
or Disposal

M.F. 143
So (date) - 4
उत्तरपृष्ठ + 4 प्रश्न
02 DFO
no. 23F66701
10/1-266703
20
2999502

3) क्या कोई व्यक्ति, भारत सरकार द्वारा प्रधान की जाने वाली उपाधि/पुरस्कार या प्रयोग अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय की तरह करता है तो क्या कोई अपराध करता है ?

4) 13 दिसम्बर 2013 को वाराणसी नगर (उत्तर प्रदेश) से एक पुस्तक प्रदानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार को 01123016857 को भेजा गया, प्राप्त आवेदन के संदर्भ में प्रदानमंत्री कार्यालय ने कृष्णी हिन्दू विश्वविद्यालय (उ.म.पु) वाराणसी (उत्तर प्रदेश) को क्या निर्देश/आदेश जारी किया या इस संदर्भ में क्या कारवाई की गई। इस संदर्भ में जारी की गई निर्देश/आदेश की हया प्रति या की गई कारवाई की हया प्रति प्रदान करने की रूपा करे।

धन: श्रीमान डेप्युटी लोडसूचना अधिकारी/उपसचिव प्रदानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली से निवेदन है कि सूचना के प्रत्येक पृष्ठ को दिनांक एवं मोहर सहित प्रमाणित करने ही उपलब्ध कराया जाय।

स्वान - गाजीपुर


दिनांक - 27/6/2014

संलग्न - (1) 23F606701 (I.P.O)

(2) 23F606703 (I.P.O)

(3) पुस्तक की प्रतिलिपि (13 Dec. 2013)

(स्वप्रमाणित)



श्रीमान का लक्ष्मी

नाम - सुजीत कुमार सिंह

[कमरा]

मैं स्वयंसेवा यह स्वयंसेवा करता हूँ मैंने

Section officer, Prime Minister office, New Delhi

उपरोक्त में दिनांक 27/6/2014 को भारतीय पोस्टल
बोर्ड नं० 23F 606701 द्वारा 10 रु० अक्षर डाक टिकट
दस्तावेज के लक्ष्य में भारतीय पोस्टल बोर्ड नं० 23F
606703 द्वारा 10 रु० अक्षर डाक टिकट

Suyash

आवेक अ समाप्त

नाम - सुजीत कुमार सिंह

पता - सुजीत कुमार सिंह 40

आशीष कुमार दूबे

ग्राम - भगवतीपुर

पोस्ट ऑफिस - अरखपुर

जिला - गाजीपुर

(उत्तर प्रदेश)

पिन - 233305

[कुल 03 पूछे + 4 प्रश्न
+
02 I.P.O]